न्यायालयः राकेश कुमार–III
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
जमानत आवेदन सं0 – 366 / 2026
सुपौल थाना कांड सं0– 290 / 2026

	उपेन्द्र मंडल उर्फ उपेन्द्र कुमार, पे0– रामेश्वर प्रसाद मंडल उर्फ रामेश्वर मंडल सा0– दीनापट्टी, वार्ड नं0 14, थाना–पिपरा, जिला–सुपौल.....आवेदक **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी**	
23/06/26	कारागीन अभियुक्त उपेन्द्र मंडल उर्फ उपेन्द्र कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार सिंह द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध वर्तमान वाद के अलावे एक अन्य मुकदमा दर्ज है, जो अनुसंधान अंतर्गत है। प्रार्थी अभियुक्त को वर्तमान झूठा मुकदमा में उनके विरोधियों द्वारा साजिश वो षड्यंत्र के तहत् गलत ढंग से परेशान करने के नियत से फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त को दिनांक 07 / 05 / 2026 को पिपरा थाना कांड सं0 143 / 26 से वर्तमान मुकदमा में उपस्थापन पश्चात् न्यायिक हिरासत में लिया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1-b)a/26/35 Arms Act के तहत् लगाया गया आरोप नहीं बनता है। प्रार्थी अभियुक्त का कहना है कि वर्तमान वाद के अन्य सह अभियुक्त अरविन्द यादव के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त को वर्तमान मुकदमा में अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का कहना है कि एक ही घटना को लेकर दो अलग–अलग थाना में अलग–अलग मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के घर से या पास से किसी प्रकार का कोई हथियार या अन्य कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थी अभियुक्त सरकारी शिक्षक है, जिसे वर्तमान वाद में जप्त किसी भी प्रदर्श से कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 07 / 05 / 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अबू जफर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाय। प्रस्तुत वाद की सूचक रामबहादुर सिंह, पु0अ0नि0 के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त सहित कुल 9 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 25(1-B)(a),26,35 Arms Act में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। संक्षेप में सूचक का कथन है कि उसे दिनांक 19 / 04 / 2026 के समय लगभग 17:30 बजे गुप्त सूचना मिली कि एक आदमी डिग्री कॉलेज चौक के पास किराये के मकान से अवैध हथियार की खरीद ब्रिकी करता है तथा आज भी किसी को हथियार देने के लिए बुलाया है। सूचना के सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई हेतु एक पुलिस टीम का गठन किया गया तथा सूचक पुलिस बल के साथियों के साथ समय 17:50 बजे प्रस्थान कर बताये गये स्थान डिग्री कॉलेज चौक के पास किराये के मकान के पास पहुँचा तो देखा कि एक व्यक्ति एलवेस्टर के मकान में अपने बिस्तर पर बैठा हुआ है जो पुलिस को देखकर घबराकर कमरे से निकलने का प्रयास किया जिसे पुलिस बल के सहयोग से अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अरविन्द यादव बताया तथा कड़ाई से पूछने पर बताया कि वह गोली खरीद ब्रिकी करता है। पिस्टल के संबंध में पूछने पर बताया कि इसी रूम में अलमिरा में रखे हुए है। तत्पश्चात् बगल के कमरे में उपस्थित एक लड़का रौशन कुमार एवं साथ के एक पुलिस बल के सदस्य मोहन कुमार को उनके स्वेच्छा से स्वतंत्र साक्षी बनाते हुए ई–साक्ष्य एप्प पर विडियो बनाते हुए तलाशी लिया गया। तलाशी के दौरान इनके द्वारा अलमिरा से काला पन्नी में लपेटे हुए 03 देशी पिस्टल एवं 06 मैंगजिन सहित गोली बरामद हुआ। तीनों पिस्टल के बट की लंबाई 5 अंगूल, बॉडी 8 अंगूल, बैरल की लंबाई 6 अंगूल पाया गया एवं इनके एक पॉकेट से वीवो कंपनी का स्मार्ट फोन एवं एक रियलमी नारजो स्मार्ट फोन बरामद हुआ। बरामद हथियारों के संबंध में पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक बात नहीं बताया और न कोई वैध कागजात प्रस्तुत किया। सूचक का आगे कथन है कि उनके द्वारा बरामद हथियार की जप्ती सूची बनाते हुए जप्त किया गया। पकड़ाये गये व्यक्ति से पूछताछ करने पर बताया गया कि पूर्व में भी वह उपेद्र मंडल, जयकिशोर सरदार, ओम साह, बिट्टू, मुकेश साह, सरोज, मौसीर को कुछ दिन पहले ही पिस्टल एवं गोली बेचे थे तथा मो0 साउथ से सस्ते में पिस्टल और गोली लाता है तथा उपरोक्त	**लगातार**

23/06/26 **लगातार**	व्यक्तियों के माध्यम से आर्म्स की ब्रिकी सुपौल जिला के सभी जगहों पर करता है। ब्रिकी का 2 लाख 8 हजार रूपया उसके जानने वाली अर्चना कुमारी के पास रखा है। सूचक जब पैसा बरामद करने हेतु अरविन्द को लेकर अर्चना के रूम पर पहुँचा जहॉ पर अर्चना के पास से 500 का 418 नोट = 208000/– पाया गया। सभी बरामद सामानों की जप्ती सूची तैयार की गयी तथा जप्ती सूची पर उक्त दोनों साक्षी ने अपना–अपना हस्ताक्षर बना दिया तथा विधिवत गिरफतार किया गया और गिरफतार अभियुक्त अरविन्द्र यादव का स्वीकारोक्ति बयान लिया गया। स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उपेन्द्र मंडल, मुकेश साह के घर पर छापामारी किया गया तो उपेन्द्र मंडल के घर से एक पिस्टल एवं 4 कारतूस तथा मुकेश साह के घर से दो पिस्टल का मैग्जीन बरामद किया गया। इस सबंध में पिपरा थाना में अलग से प्राथमिकी दर्ज किया गया। तत्पश्चात् जप्त प्रदर्श एवं गिरफतार अभियुक्त अरविन्द यादव को पुलिस अभिरक्षा में लेकर वापस थाना आया। सुना व अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा उनका नाम कांड के सह–अभियुक्त अरविन्द यादव के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त को दूसरे कांड पिपरा थाना कांड सं0 143/26 से उपस्थापन पश्चात् प्रस्तुत कांड में दिनांक 07/05/2026 को रिमांड किया गया है तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी अभियुक्त के पास से इस वाद में कोई हथियार या आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त के जमानत आवेदन के अनुसार उनके विरुद्ध इस कांड के अलावे एक अन्य मुकदमा पिपरा थाना कांड सं0 143/2026 दर्ज है। प्रार्थी अभियुक्त शिक्षक है तथा वह काफी समय दिनांक 07/05/2026 से लगभग डेढ़ महीने से अधिक से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थी अभियुक्त द्वारा कारा में बिताई गयी अवधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त उपेन्द्र मंडल उर्फ उपेन्द्र कुमार की ओर से दाखिल **जमानत आवेदन स्वीकृत** किया जाता है। तद्नुसार उक्त प्रार्थी अभियुक्त को निम्न न्यायालय के संतुष्टिकारक मो0 10,000/– रूपये के समान राशि के दो जमानतदारों के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि प्रार्थी अभियुक्त का एक जमानतदार उसके नजदीकी रिस्तेदार होंगे साथ ही ; 1. प्रार्थी अभियुक्त बंध पत्र दाखिल करते समय विद्वान निम्न न्यायालय में इस आशय का वचनबद्धता दाखिल करेंगे कि वह भविष्य में इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं रहेंगे तथा यदि वे इस तरह के अपराध में संलिप्त पाये जाते हैं तो विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा इनका बंध पत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। 2. प्रार्थी अभियुक्त के द्वारा यह कथन किया गया है कि उनके विरुद्ध इस मुकदमा के अलावे एक अन्य मुकदमा पिपरा थाना कांड सं0 143/26 दर्ज है। विद्वान न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त को बंध पत्र पर मुक्त करने के पश्चात् प्रार्थी अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का सत्यापन करा लेंगे एवं प्रार्थी अभियुक्त का इन मुकदमों के अलावे, यदि अन्य कोई आपराधिक इतिहास पाया जाता है तो विद्वान न्यायालय प्रार्थी अभियुक्त का बंधपत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। 3. प्रार्थी अभियुक्त वाद के अनुसंधान में सहयोग करेंगे तथा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे एवं वाद के विचारण में सहयोग करेंगे। लेखापित (राकेश कुमार–**III**) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	